संख्या:899/2023/2908/35-4-2023/35-4099/37/2022

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 01 दिसम्बर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद- गोरखपुर में शासनादेश संख्या-241/2022/849/35-4-2022/001-35-4099/37/2022, दिनांक 05-08-2022 द्वारा जल निकासी से सम्बंधित 16 कार्यों की लागत रू. 5155.68 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1288.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या:369/मु0अभि0/चार-सा0नि0वि0/2023-24, दिनांक 27-10-2023 द्वारा उक्त 16 कार्यों में से 04 कार्यों में पड़ने वाले विद्युत पोलों की शिफिंटग हेतु व्यय होने वाली धनराशि का वहन निविदा के दौरान हुई बचत रू. 200.76 लाख तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि रू. 50.00 लाख से किये जाने हेतु सन्दर्भित किये गये प्रकरण के क्रम में उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्यों में से 04 कार्यों **(यथा-1. स्टेपिंग स्टोन नाला, 2. सुभाष चन्द्र बोस नाला, 3. सुभाष चन्द्र बोस नाला यूएस, 4. पम्पिंग स्टेशन-बसियाडीह)** के निर्माण कार्य में पड़ने वाले विद्युत पोलों की शिफिंटग हेतु व्यय होने वाली धनराशि रू0 250.69 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख उनहत्तर लाख) का वहन उक्त 04 कार्यों हेतु इंगित की गयी बचत की धनराशि रू0 200.76 लाख तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु पूर्व में अनुमोदित/अवमुक्त धनराशि रू0 50.00 लाख अर्थात रू 250.76 लाख के सापेक्ष रू. 250.69 लाख का उपयोग किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त कार्यों में विद्युत पोलों की शिफिंटग पर व्यय होने वाली धनराशि रू0 250.69 लाख का वहन रू 250.76 लाख में से किये जाने के उपरान्त शेष बची हुई धनराशि रू. 0.07 लाख को नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05-08-2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:899/2023/2908(1)/35-4-2023/35-4099/37/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11-सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट टांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।